शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक जीवन स्तर बढ़ाने में सरकारी योजनाओं की भूमिका (धार जिले के संदर्भ में)

कु. सपना पटेल (शोधार्थी)
डॉ.शारदा शिंदे (निर्देशक)
विक्रम विश्वविद्यालय
उज्जैन, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक जीवन व स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें महिला जागृति योजना, मंगल दिवस योजना, अन्न प्राशन कार्यक्रम, बालिका समृद्धि योजना, गोद भराई कार्यक्रम, अपनी बेटी अपना धन योजना आदि मुख्य कार्यक्रम व योजनाएं हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की सार्थकता के बारे में अलग-अलग धारणाएं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक विकास के अनुसार महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है, परंतु पूर्णतः नहीं। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी विषय पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

भारत एक ग्रामीण परिवेश वाला देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का कथन है कि भारत गाँवों का देश है और इसकी आत्मा गाँव में बसती है। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास से ही देश का विकास संभव हैं। ग्रामीण विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। पं. जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं के उत्थान से समाज का विकास होगा तथा समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र का विकास होगा। किसी भी राष्ट्र के विकास को मापने का उत्तम मानक वहां का स्वस्थ समाज होता है। महिला नागरिकों के स्वास्थ्य का सीधा असर उनकी कार्य-शक्ति पर पड़ता है।

महिला नागरिक कार्य-शक्ति का सीधा संबंध राष्ट्रीय उत्पादन-शक्ति से है। जिस देश की उत्पादन शक्ति मजबूत है वह वैश्विक स्तर पर विकास के नए-नए मानक गढने में सफल होता रहा है। इस संदर्भ में स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में वहां के महिला-स्वास्थ्य का बेहतर होना बहुत ही जरूरी है। शायद यही कारण है कि अमेरिका जैसे वैभवशाली राष्ट्र की राजनीति हलचल में स्वास्थ्य का मसला अपना अहम स्थान पाता है।

दरअसल किसी भी राष्ट्र के लिए अपने महिला नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला धर्म होता है।

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता

यह सर्वविदित है कि स्त्री-पुरुष की शारीरिक बनावट के कारण भी कुछ रोग महिलाओं को जल्द ग्रस्त करते हैं तो कुछ पुरुषों को। इसलिए महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर अलग से चर्चा लाजिमी है। लखनऊ में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही ऋचा सिंह ने महिलाओं की समस्याओं को बहुत ही नजदीक से देखा है। वह कहती हैं कि स्वच्छता का नाता महिलाओं की पूरी जीवन चर्या से है। चाहे युटीआई इन्फेक्शन की बात हो, ल्युकोरिया की स्वच्छता से सबका नाता है। अनहाइजेनिक डाइट व पोषण के कारण भी महिलाओं को कई तरह की बीमारियां होती हैं। उनका मानना है कि महिलओं में बढ़ रहे ट्यूबरकुलोसिस के मामले का भी संबंध स्वच्छता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। कान्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को शारीरिक बदलाव के बारे में दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें मासिक-धर्म से संबंधित जानकारी दी जाती है, लेकिन देश के बाकी स्कूलों में शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्रसव के बाद महिलाओं को जिन अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाता है उससे कई बार जच्चा-बच्चा की जान भी चली जाती है। घर-घर शौचालय की हिमायत कर वह कहती हैं कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से और स्वास्थ्य के लिहाज से महिलाओं के लिए शौचालय का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार महिलाओं को शौच जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनके पेट में कई तरह की बीमारियां होती हैं। आययुर्वेदाचार्य एसएस विश्वामित्र के अनुसार यदि आपका शरीर गंदा है तो चर्म रोग यानी त्वचा रोग, योनि रोग, मानसिक विकृति, गुप्तांग रोग आदि उत्पन्न होने लगते हैं। इसी तरह यदि घर-कमरा गंदे हैं तो विषैले दांतो-डंकों वाले जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जैसे - मक्खी, मच्छर, चींटी, चींटे आदि। इनकी अधिकता बढते ही डेंगु ज्वर, मलेरिया, उदर संबंधी विकार जैसे- उल्टी-दस्त-हैजा आदि रोग पैदा होने लगते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्वछता से उत्पन्न होने वाले ये रोग पुरूषों की बजाए महिलाओं को अपनी गिरफ्त में जल्द लेते हैं। हमारे देश की सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि महिलाओं को अमानवीय वातावरण में अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करना पड़ता हैं । नारी की शारीरिक बनावट जिस तरह की है उसमें उसके लिए साफ-सफाई से रहना और भी जरूरी हो जाता है। महिलायें विशेषकर मूत्र संक्रमण की विकृति का शिकार होती हैं। कुछ तो इसे समझ नहीं पाती और जो समझ भी पाती हैं वो लोक-लाज में इसे व्यक्त करने की स्थिति में नहीं रहती हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अस्वच्छता के कारण महिलाओं के हार्मोंस असंतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण कई और बीमारियों के उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। जीवाणुओं के संक्रमण की गति बहुत ही तीव्र होती है और ये महिलाओं के शरीर में बहुत तेजी से फैलता-बढ़ते हैं। रजोवृति के बाद प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी महिलाओं में भी मूत्र सम्बंधित विकृति पायी जाती हैं। इतना ही नहीं इस रोग के फैलने पर मूत्र मार्ग पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है और न चाहते हुए भी कई बार मूत्र स्वतः स्त्रावित हो जाते हैं। साथ ही इस रोग के बढ़ने से गुर्दे खराब होने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती हैं।

परिकल्पना - महिला कल्याण योजनाओं का धार जिले की ग्रामीण जीवन की महिला एवं बाल विकास का योगदान।

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 फरवरी 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र - प्रस्तुत शोध में द्वितीय समंको का प्रयोग किया गया है, जो जिला सांख्यिकीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। वार्षिक स्वास्थ्य योजना एवं प्रगति प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संग्रहण किया गया है। आंकड़ो का संकलन 2015-16 के 1 वर्ष के लिए किए गये बजट के आधार पर दिये गये हैं। इन आंकड़ो के आधार पर सांख्यिकीय गणितीय विधियों का प्रयोग कर विश्लेषण द्वारा परिणाम ज्ञात किये गये हैं। अध्ययन का क्षेत्र धार जिला हैं।

अवलोकन एवं व्याख्या

धार जिले में 1 जिला चिकित्सालय, 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 399 उपस्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। इनमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों व महिला व बाल विकास विभाग के माध्यम से इनका रूझान बढ़ रहा है और वर्तमान में इनकी संख्या व स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यतः जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, मंगल दिवस योजना, किशोरी बालिका दिवस आदि कार्यक्रम और योजनाएं चलायी जा रही हैं।

स्वास्थ्य स्तर, पोषण और महिलाएँ

आयरन की कमी की वजह से गर्भवती महिलाओं का शरीर कमजोर हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भ में पल रहे शिशु का विकास भी प्रभावित होता है। इससे महिला और उसके बच्चे के बीमार होने या मृत्यु का शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है (विश्व स्वास्थ्य संगठन 2003) कुपोषण का आर्थिक प्रभाव भी व्यापक होता है। एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से बच्चों में कम समझ और वयस्कों में कम उत्पादकता जैसी समस्याँ उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं की आर्थिक लागत अकेले दक्षिण एशिया में पाँच अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है।(रासॅ एण्ड होर्टन 1998)

शुरूआती 1000 दिनों का महत्व

गर्भवस्था से लेकर शिशु के दूसरे जन्म दिन के बीच के 1000 दिनों के दौरान महिलाओं को पोषण प्रदान करना विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भविष्य की आधारशिला रखता है। इस दौरान पूरा पोषण देने से बच्चे के बढ़ने उसके सीखने और समझने की क्षमता पर गहरा असर और स्थाई प्रभाव पड़ता है जो देश के स्वास्थ्य और कल्याण में भी योगदान देता है। महिला को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के शुरूआती एक साल में पूरा पोषण देने से मस्तिष्क का उचित विकास होता है। स्वास्थ्य शारीरिक विकास होता और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि किसी व्यक्ति के जीवनपर्यन्त स्वास्थ्य का आधार इन्हीं 1000 दिनों से निर्धारित होता है जिसमें उस व्यक्ति का मोटापा या कई गंभीर रोगों से ग्रस्त होना भी शामिल हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् नियोजित विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रारंभ व प्रसार के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं, तथापि यह भी प्रमाणित तथ्य है कि हमारी स्वास्थ्य नीतियाँ कभी-भी महिला केन्द्रित नहीं रहीं और औसत भारतीय स्त्री का स्वास्थ्य व पालन पोषण के कार्य तथा प्रजनन-दर नियंत्रण आदि को ध्यान में रख कर ही बनाई

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

जाती हैं, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। महिला स्वास्थ्य के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक समन्वित स्वास्थ्य नीति का निर्माण होना अनिवार्य है।

बेटी बचाओ आन्दोलन - घटते कन्या शिशु लिंग अनुपात को देखते हुए चलाये गये बेटी बचाओ अभियान से समाज के सभी वर्ग जुड़ रहे हैं। अब ऐसे माता-पिता के लिए मुख्यमन्त्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरु की जा रही है, जिनकी केवल बेटियाँ हैं।

मंगल दिवस योजना - यह योजना 2007-08 में आरंभ हुई। उद्देश्य - आँगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, सुरक्षित प्रसव, मातृ व शिशु मृत्यु-दर में कमी लाना, बाल कुपोषण में कमी लाना, किशोरी बालिकाओं की उचित देखभाल करना। इसके अंतर्गत प्रथम मंगलवार को गोद-भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्राशन, तृतीय मंगलवार को जन्मदिवस कार्यक्रम एवं चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

1 गोद-भराई कार्यक्रम में गर्भवती महिला की गोद भरकर उसे स्वास्थ्य व पोषण संबंधी समझाइश दी जाती है।

2 शिशु के 6 माह का हो जाने पर उसकी माँ को समझाइश दी जाती है कि शिशु को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार भी प्रदान करे।

3 किशोरी बालिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए आयरन, फोलिक एसिड आदि की गोलियाँ दी जाती हैं एवं उन्हें आर्थिक स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

धार जिले के अन्तर्गत भी मंगल दिवस योजना कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सन् 2015-16 के दौरान 15429 गोद भराई सार्थक करवाई गई 10980 का अन्न प्राशन कराया गया 9860 के जन्म दिवस मनाये गये है और 47985 किशोरी बालिका दिवस भी मनाये गये हैं।

जननी सुरक्षा योजना - इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित करके मातृ व शिशु मृत्यु-दर में कमी लाना है। यह शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लागू हुई। यह योजना मध्यप्रदेश सहित देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है। आशा नामक कार्यकर्ता इस योजना में सरकार व गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक कड़ी का काम करती है। इस योजना की पात्रता उन सभी महिलाओं को होगी जिन्हें प्रसव हेतु शासकीय अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती किया गया हो। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली गरीबी-रेखा से नीचे की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता हैं। योजना के अन्तर्गत देय लाभ इस प्रकार हैं-

1 शासकीय अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रहकर प्रसव कराने पर हितग्राही महिला को प्रसव के दौरान समस्त सुविधाएँ अस्पताल द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएँगी तथा प्रसवोपरांत ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 1400 तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 1000 की राशि एक मुश्त दी जाएगी।

2 गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुँचाने वाली प्रेरक महिला को भी ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 600 तथा शहरी क्षेत्र में रुपये 200 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

समीक्षा - ग्रामीण क्षेत्र में घरों में जचकी कराने का काम पारंपरिक दाइयों के हाथ में रहता है।

इस कारण माताओं एवं शिशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस योजना से प्रदेश में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और 27 प्रतिशत से बढ़कर 81 प्रतिशत से भी ऊपर जा चुका है।

जननी एक्सप्रेस योजना - यह योजना 2006 में लागू हुई। इसका उद्देश्य गर्भवती स्त्रियों को चौबीसों घंटे परिवहन-सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें किसी भी समय अस्पताल पहुँचाया जा सके। प्रसूति के पूर्व व उपरांत दोनों ही स्थितियों में आपातकाल में यह सेवा स्त्रियों को उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दीनदायल उपचार योजना के हितग्राहियों व बीमार बच्चों को भी यह सुविधा उपलब्ध है।

जननी सहयोगी योजना - मध्यप्रदेश में यह योजना वर्ष 2006 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी-रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं व नवजात शिशुओं को अभिप्रमाणित निजी संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसूति सेवाएँ, बीमार/नवजात शिशुओं की देखभाल सेवाएँ प्रदाय करना है।

इस योजना की विशिष्टता यह है कि इसमें सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी सेवा प्रदाताओं का सहयोग लिया जाता हैं इस योजना के हितग्राही हैं- बी पी एल परिवारों की गर्भवती महिलाएँ एवं बीमार नवजात शिशु।

धनवंतरी विकास-खण्ड योजना - मध्यप्रदेश के 50 विकासखण्डों को स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आदर्श बनाने हेतु एक महत्वकांक्षी धनवंतरी विकास खण्ड योजना 15 अगस्त 2005 को आरंभ की गई। इन विकास खण्डों में स्वास्थ्य की विद्यमान सेवाओं का समन्वित क्रियान्वयन एवं बेहतर प्रबंधन करके उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

इस योजना के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है, जिनमें प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो ताकि प्रत्येक महिला स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर हो। योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक जोर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने को दिया जाता है, जिससे इन विकास खण्डों में मातृ एवं शिशु मृत्यु-दरों में कमी लाई जा सके।

अति-निर्धन महिलाओं के प्रसव-पूर्व सहायता राशि - उद्देश्य - अति-निर्धन महिलाओं को प्रसव-पूर्व-आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जिससे महिलाएँ प्रसव के पूर्व अपनी देखभाल कर सकें और उनके प्रसव पर होने वाले व्यय की कुछ सीमा तक प्रतिपूर्ति हो सके। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित पात्रता निम्नानुसार है-

1 गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष या इससे अधिक हो।

2 गर्भवती महिला अति-निर्धन के रूप में पंजीकृत अर्थात् पीला राशनकार्ड धारी हो।

3 सहायता-राशि केवल दो जीवित बच्चों के जन्म तक ही देय होगी।

सेवा कार्य में जिला स्वास्थ्य संस्था में 236140 को स्वास्थ्य का लाभ मिल चुका है। जिले में संस्थागत प्रसवों में कुल 18550 हुए हैं, जिनमें 16370 संस्थागत प्रसव कराये गए जिनका प्रतिशत 88.24 प्रतिशत रहा है, जो बिना किसी नुकसान के महिलाओं को स्वास्थ्य का लाभ मिला है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2015-16 में जिले के अन्तर्गत पोषण आहार से 139690 छः माह से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओ को लाभान्वित किया। 17613 गर्भवती माताओं को तथा 16655 धात्री माताओं को लाभान्वित किया है। साथ ही जिले में मंगल

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

दिवस योजना के माध्यम से 15429 गोद भराई, 10960 अन्नप्राशन 9660 जन्मदिवस व 47985 किशोरी बालिका दिवस के रूप में लाभान्वित किया है। नीचे दिए गए दण्डचित्र में महिला एवं बाल विकास राज्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राशि प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी को भी दर्शाया गया है, जिसमें 2012-13 में रा.यो.आ. द्वारा अनुमोदित राशि 37.82 प्रतिशत 2013-14 में 39.27 प्रतिशत व 2014-15 में 39.27 प्रतिशत रही है। इसमें बजट का प्रावधान 2012-13 में 45.7 प्रतिशत 2013-14 में 9.60 प्रतिशत घटते क्रम मे व 2014-15 में 39.37 प्रतिशत रहा, जिसमे 0.10 प्रतिशत ज्यादा रहा। व्यय राशि में 2013-13 में 37.82 प्रतिशत 2013-14 में 9.60 प्रतिशत कम व 2014-15 में 33.87 प्रतिशत चला गया है।

महिला एवं बाल विकास
रा.यो.आ. द्वारा अनुमोदित राशि, प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी

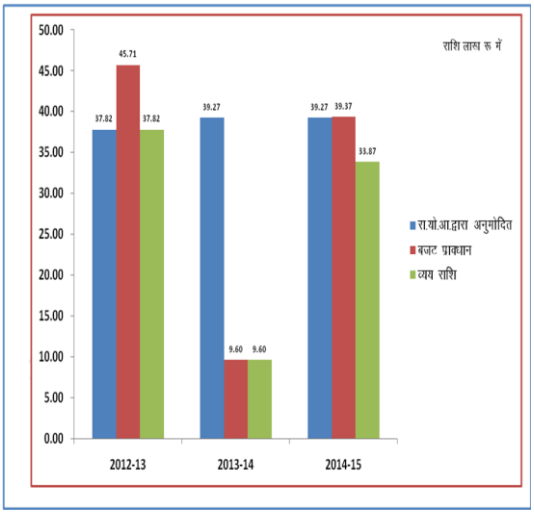

जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं का समय-समय पर उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखा गया है तथा महिलायें लाभान्वित भी हुई हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से धार जिले में सभी महिलाओं की स्थिति बेहतर पायी गई है। लेकिन इसमें और अधिक सहायता और जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक स्तर में कोई बदलाव की स्थिति नही देखी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलायें ज्यादातर मजदूरी व कृषि कार्य के छोटे छोटे कार्य में अपने जीवन को बिताने पर मजबूर हैं, जिसमें उनको आय की प्राप्ति भी कम होती है तथा कम आय होने से वह अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से देखभाल करने में असमर्थ रहती हैं व धीरे-धीरे वह किसी बड़ी बिमारियों का शिकार हो जाती हैं। तालिका क्रं. 1 से स्पष्ट है कि धार जिले में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 2015-16 के दौरान शैय्याओं की संख्या 15 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया है जहां 6 शैय्या प्रति संस्था में रखे गये हैं तथा 399 उपस्वास्थ्य केन्द्र 81 बगैर भवन निर्माण के चलाये जा रहे है।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य स्तर में सुधार का सीधा व प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास से भी है। स्वास्थ्य स्तर में सुधार का प्रत्यक्ष प्रभाव उच्च स्तरीय उत्पादकता, नई गतिविधियों हेतु समय व प्रयासों की संभावना तथा वांछित अवकाश क्षणों की प्राप्ति के रूप में हो सकती है। एक लंबे समय पश्चात् इससे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की उम्मीद भी की जा सकती है। उदाहरणार्थ - अच्छे स्वास्थ्य स्तर व निम्न मृत्यु दर का सीधा परिणाम प्रजनन दर में कमी के रूप में दिखाई दे सकता है। जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं को उचित स्वास्थ्य, पोषण व प्रसव में लाभान्वित किया गया है तीन वर्षो के राज्य योजना आयोग

के बजट प्रस्ताव में भी महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, प्रसव व गर्भावस्था के दौरान आशाजनक रूप से लाभान्वित किया गया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है तथा उनके जीवन मे सुधार की उम्मीद को कारगर किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ

1 ग्रामीण सशक्तिकरण ग्रंथमाला 18 ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2011

2 महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ, रिचा भुवनेश्वरी, रितु पब्लिकेशन्स 2011

3 नवीन शोध संसार रिसर्च जर्नल दिसम्बर 2016 प्रकाशन विभाग, नीमच

4 कुरूक्षेत्र पत्रिका मार्च 2015

5 योजना पत्रिका 2015

6 संख्यिकि कार्यालय स्रोत पुस्तिका, जिला धार